# कार्यालय–उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पुरोला, दूरभाष एवं फैक्स नं0 – 01373-223433, Email - gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 520 / 12-1 पुरोलाः दिनांक 14/09/ 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,

वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी,

उत्तराखण्ड़, देहरादून।

**विषयः–** **जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी मे प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत कोटगांव (नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई–15.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु 11.115 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैध्दान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में।**

**सन्दर्भः–** **अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यू0–मोरी के कार्यालय की पत्र संख्या –278/वा0लि0/ पी0एम0जी0एस0वाई0/2021–22, दिनांक–19.08.2021।**

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग हेतु भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक–8बी./यू.सी.पी./06/174/2020/एफ0सी0/2318, दिनांक–18.02.2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, एवं प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसकी बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है–:

| क्र0 स0 | शर्त | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1. | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। इसव एक शपथपत्र संलग्न (1) प्रेषित है। |
| 2. | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | राजकीय वन विभाग द्वारा परियोजना के लिए आवश्य गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद वन भूमि सौंपी जाएगी। |
| 3. | **प्रतिपूरक वनीकरण** | |
| क. | वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 22.23 है0 अवनत वन भूमि कलाप बीट, कलाप कक्ष सं0–10 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाये। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 22.23 है0 अवनत वन भूमि कल बीट, कलाप कक्ष सं0–10 पर प्रतिपूरक वनीकरण हे धनराशि जमा कर दी गई है तथा राजकीय वन विभाग द्वा 22.23 है0 अवनत वन भूमि कलाप बीट, कलाप कक्ष सं0– पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। राजकीय वन विभा द्वारा जहां तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों व लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से ब जायेगा। इसका एक शपथपत्र संलग्न (2) प्रेषित है। |

| | | |
|---|---|---|
| ख. | वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है। | उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है। वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र संलग्न (3) प्रेषित है। |
| 4. | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूर दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित सहित सम्बन्धित खाते में जमा कर दी गई है तथा राजकीय वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक अनुरक्षण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में यदि निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जाते है तो यह मान्य है। इसका एक शपथपत्र संलग्न (4) प्रेषित है। |
| 5. | **शुद्ध वर्तमान मुल्य** | |
| क. | इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक–30.10.2001, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (pt, 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक–03.01.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 11.115 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यार्वतन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेंगी। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके रख रखाव हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रु0 5,47,93,659.00 सम्बन्धित खाते में RTGS के माध्यम से जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न (5) प्रेषित है। |
| ख. | विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रुप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वूसला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। | माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि, यदि कोई हो, अन्तिम रुप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ पत्र संलग्न (6) प्रेषित है। |
| 6. | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार **346 tree and 32 saplings** से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत की लागत जमा की जाएगी एवं पेडों का पातन 7 मी0 चौड़ाई में ही किया जायेगा। | प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार **346 tree and 32 saplings** से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में ही काटे जाएगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग को वृक्षों की कटाई की लागत जमा कर दी गई है एवं पेडों का पातन 7 मी0 चौड़ाई में ही किया जायेगा। इसका एक शपथपत्र संलग्न (7) प्रेषित है। |
| 7. | राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला के अन्तर्गत प्रस्तावित है यह राज्य सरकार के पत्र दिनांक 30.11.2021 द्वारा स्पष्ट किया गया है। अतः राज्य सरकार इस हेतु संशोधित अभिलेख **(पार्ट–IV)** की हार्ड कॉपी इस कार्यालय में प्रेषित करें। | राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को संशोधित अभिलेख **(पार्ट–IV)** की हार्ड कॉपी प्रेषित की जानी है। |

| | | |
|---|---|---|
| **8.** | **The provision of the Bhagirathi eco sensitive zone notification and zonal master plan shall be strictly complied with by the State Govt, and User Agency.** | उक्त प्रस्ताव पर भागीरथी इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना और जोनल मास्टर प्लान के प्रावधान लागू नही होते है। इसका एक शपथपत्र संलग्न( 8 ) प्रेषित है। |
| **9.** | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल **(https.//parivesh.nic/in)** के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड मे स्थानान्तरित/जमा किये जाएगें। | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल **(https.//parivesh.nic/in)** के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड मे स्थानान्तरित/जमा कर दिया गया है। इसका एक शपथपत्र संलग्न ( 9 ) प्रेषित है। |
| **10.** | गाईडलाइन में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई गतिविधि नही की जाएगी। | राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान तथा कार्य प्रारम्भ करने के लिए परित किये आदेशों की प्रति संलग्न (10 एवं 11 ) प्रेषित है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की तिथि से 01 वर्ष की समाप्ति तक उल्लिखित कार्यो के अलावा कोई अन्य गतिविधि नही करेगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ पत्र संलग्न (12) प्रेषित है। |
| **11.** | एफआरए. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायगा। | एफआरए. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। इसका एक शपथ पत्र संलग्न (13) प्रेषित है। |
| **12.** | प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनो किनारो पर पौधों की संख्या को बढ़ाया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ पत्र संलग्न (14) प्रेषित है। |
| **13.** | संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगें। इसका एक शपथ पत्र संलग्न ( 15) प्रेषित है। |
| **14.** | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। | उक्त परियोजना के तह्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नही है। इसका एक शपथपत्र संलग्न ( 16) प्रेषित है। |
| **15.** | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा। इसका शपथ पत्र संलग्न (17) प्रेषित है। |
| **16.** | वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा। | राजकीय वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया करेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका शपथ पत्र संलग्न ( 18 ) प्रेषित है। |

| | | |
|---|---|---|
| 17. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक दिया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन प्रयोक्ता अभिकरण को मजदूरों हेतु किसी अन्य कानूनी स्त्रोत प्रर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक दिया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका शपथ पत्र संलग्न (19) प्रेषित है। |
| 18. | सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। | सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन कर दिया गया है। इसका एक शपथपत्र संलग्न (२०) प्रेषित है। |
| 19. | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा। | राज्य वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका शपथ पत्र संलग्न (21) प्रेषित है। |
| 20 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा। | राज्य वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित/निगरानी की जायेगी कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका शपथ पत्र संलग्न (२२) प्रेषित है। |
| 21. | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जाएगी। | राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जाएगी। इसका शपथ पत्र संलग्न (२3) प्रेषित है। |
| 22. | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 कर उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। | उक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया जायेगा। इसका एक शपथपत्र संलग्न (२५) प्रेषित है। |
| 23. | पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा वन एवं वन्यजीवो के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी। | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित जो भी शर्ते लागू होंगी, वह राज्य वन विभाग व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मान्य होंगी। इसका शपथ पत्र संलग्न (२५) प्रेषित है। |
| 24. | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी। | राज्य वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण किया जाय कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे गिरे तथा राज्य के वन विभाग के परिवेक्षण में प्रयोक्त अभिकरण द्वारा परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजाती के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाय, मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाय। निस्तारण स्थलों को प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया हो। राज्य वन विभाग द्वारा इसकी निगरानी की जायेगी कि मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नही की जाये। इसका एक शपथपत्र संलग्न (२6) प्रेषित है। |

| | | |
|---|---|---|
| **25.** | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंन्सी की जिम्मेवारी होगी। | इस प्रस्ताव में लागू होने वाले समस्त अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश के अधीन जरुरी अनुमति प्राप्त कर ली गई है। इसका एक शपथपत्र संलग्न (२७) प्रेषित है। |
| **26.** | अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल **(https.//parivesh.nic/in)** पर अपलोड की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिर्पाट ई-पोर्टल **(https.//parivesh.nic/in)** पर अपलोड की जाएगी। इसका एक शपथपत्र संलग्न (२८) प्रेषित है। |

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

**संलग्नक उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

**(डी0पी0बलूनी)**
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा0पा0
पुरोला, उत्तरकाशी।

**पत्रांक / समदिनांकित**

**प्रतिलिपिः**– 1. निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, पी0आई0यू0, मोरी को सूचनार्थ प्रेषित।

**(डी0पी0बलूनी)**
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा0पा0
पुरोला, उत्तरकाशी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0
पी0आई0यू0—मोरी
उत्तरकाशी।

Email:-swastikant.mishti@gmail.com
Mob :- +91-1373234355,
+91-9410927114

पत्रांक संख्या :— 278/पी0एम0जी0एस0वाई0/2021—22 दिनांक 19/09/2021

उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा0पार्क
पुरोला, उत्तरकशी।

**विषयः—जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड़ मोरी में प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव ( नैटवाड़ ) से कलाप मोटर मार्ग ( लम्बाई—15.00 कि0मी0 ) के नव निर्माण हेतु 11.115 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैध्दान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

**सन्दर्भः—भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/174/2020/एफ0 सी0/2318 ,दिनांक 18/02/2021**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में सैध्दान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन आख्या निम्नलिखित है।

| क0 सं0 | शर्त | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| **1.** | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। इसका एक शपथपत्र संलग्न (1) प्रेषित है। |
| **2.** | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी। | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिन्दु संख्या 02 का अनुपालन किया जाएगा। |
| **3.** | प्रतिपूरक वनीकरण: | |
| **क.** | वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 22.23 हे0 अवनत वन भूमि कलाप बीट, कलाप कक्ष सं0—10 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानिक स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें। | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 22.23 हे0 अवनत वन भूमि कलाप बीट, कलाप कक्ष सं0—10 पर प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि जमा कर दी गयी है। जहां तक व्यावहारिक होगा, स्थानिक स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायगा। इसका एक शपथपत्र संलग्न (2) प्रेषित है। |
| **ख.** | वन मंड़ल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। | उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। वन मंड़ल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र संलग्न (3) प्रेषित है। |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत उवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृध्दि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है। | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित सहित सम्बन्धित खाते में जमा कर दी गयी है। योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृध्दि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जाते है, यह प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मान्य है। इसका एक शपथपत्र संलग्न (4) प्रेषित है। |
| 5. | **शुद्ध वर्तमान मुल्य** | |
| क. | इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.200201.08.2003, 28.03.2008, 24.04. 2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.01.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 11.115 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मुल्य वसूल करेंगी। | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके रख रखाव हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रु0 5,47,93,659.00 सम्बन्धित खाते में RTGS के माध्यम से जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न (5) प्रेषित है। |
| ख. | विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगा, इसका एक शपथपत्र संलग्न (6) प्रेषित है। |
| 6. | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 346 tree and 32 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी एवं पेड़ों का पातन 7 मी0 चौड़ाई में ही किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 346 tree and 32 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में काटे जाएगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा कर दी गयी है एवं पेड़ों का पातन 7 मी0 चौड़ाई में ही किया जायेगा। इसका एक शपथपत्र संलग्न (7) प्रेषित है। |
| 7. | राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग गोविन्द वन जीव विहार, पुरोला के अर्न्तगत प्रस्तावित है यह राज्य सरकार के पत्र दिनांक 30.01.2021 द्वारा स्पष्ट किया गया है। अतः राज्य सरकार इस हेतु संशोधित अभिलेख (पार्ट–IV) की हार्ड कॉपी इस कार्यालय में प्रेषित करें। | संशोधित अभिलेख (पार्ट–IV) की हार्ड कॉपी राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में प्रेषित की जानी है। |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | The provision of the Bhagirathi eco sensitive zone notification and zonal master plan shall be strictly complied with by the State Govt. And User Agency. | उक्त प्रस्ताव पर भागीरथी इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना और जोनल मास्टर प्लान के प्रावधान लागू नही होते है। इसका एक शपथपत्र संलग्न( 8 ) प्रेषित है। |
| 9. | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in.) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें। | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in.) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा कर दिया गया है। इसका एक शपथपत्र संलग्न ( 9 ) प्रेषित है। |
| 10. | गाईडलाइन में दिए गये दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृत से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई गतिविधि नहीं की जाएगी। | राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृत से पूर्व वृक्षों के कटान तथा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति प्रति संलग्न ( 10 एवं 11) प्रेषित है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई गतिविधि नहीं की जाएगी। इसका एक शपथपत्र संलग्न ( 12 ) प्रेषित है। |
| 11. | एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। इसका एक शपथपत्र संलग्न ( 13 ) प्रेषित है। |
| 12. | प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या को बढाया जायेगा। इसका एक शपथपत्र संलग्न (14) प्रेषित है। |
| 13. | संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें। इसका एक शपथपत्र संलग्न ( 15 ) प्रेषित है। |
| 14. | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। | उक्त परियोजना के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकति लागू नही है। इसका एक शपथपत्र संलग्न (16 ) प्रेषित है। |
| 15. | केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इसका एक शपथपत्र संलग्न (17) प्रेषित है। |
| 16. | वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा। इसका एक शपथपत्र संलग्न (18 ) प्रेषित है। |

| | | |
|---|---|---|
| 17. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरो को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक दिया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरो को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक दिया जाएगा। इसका एक शपथपत्र संलग्न ( १९ ) प्रेषित है। |
| 18. | सबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर. सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन कर दिया गया है। इसका एक शपथपत्र संलग्न (२०) प्रेषित है। |
| 19. | परियोजना कार्य के निष्पादन कें लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन कें लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इसका एक शपथपत्र संलग्न ( २१ ) प्रेषित है। |
| 20. | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा। इसका एक शपथपत्र संलग्न (२२) प्रेषित है। |
| 21. | केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जाएगी। इसका एक शपथपत्र संलग्न (२३ ) प्रेषित है। |
| 22. | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 कर उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया जायेगा। इसका एक शपथपत्र संलग्न ( २५ ) प्रेषित है। |
| 23. | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी। | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित जो भी शर्ते लागू होंगी, वह प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मान्य होंगी। इसका एक शपथपत्र संलग्न (२६) प्रेषित है। |

| | | |
|---|---|---|
| **24.** | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जाएगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे गिरे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नही की जाएगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवे का निस्तारण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर ही किया जाएगा। इसका एक शपथपत्र संलग्न ( २६ ) प्रेषित है। |
| **25.** | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रस्ताव में लागू होने वाले समस्त अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश के अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। इसका एक शपथपत्र संलग्न (२७) प्रेषित है। |
| **26.** | अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in.) पर अपलोड की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in.) पर अपलोड की जाएगी। इसका एक शपथपत्र संलग्न ( २८ ) प्रेषित है। |

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0–मोरी
उत्तरकाशी।

[Executive Engineer]
P.M.G.S.Y., P.I.U., Mori
(Uttarkashi)

(1)

परियोजना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)

# शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव के वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0पी0आई0यू0–मोरी
उत्तरकाशी

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., P.I.U. Mori
(Uttarkashi)

परियोजना का नाम :– प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)

## शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 22.23 हे0 अवनत वन भूमि कलाप बीट, कलाप कक्ष सं0–10 पर प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि जमा कर दी गयी है। जहां तक व्यावहारिक होगा, स्थानिक स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायेगा।

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., P.I.U., Mori
(Uttarkashi)

उप निदेशक
गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क
पुरोला (उत्तरकाशी)

**<u>परियोजना का नामः–</u>** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में कोटगॉव (नैटवाड़) कलाप मोटर मार्ग (15.00 किमी0) कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

## <u>क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड़ मोरी में कोटगॉव (नैटवाड़) से कलाप मोटर मार्ग (15.00 किमी0) का नव निर्माण कार्य हेतु सुपिन रेंज कार्यालय में विद्यमान अभिलेखों का परीक्षण करने पर पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि पर **(कलाप बीट, कलाप क0स0 10 क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन भूमि)** पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।

**(डी0पी0बलूनी)**
उप निदेशक
गाविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क,
पुरोला, उत्तरकाशी।

**परियोजना का नाम** :– प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)

## शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित सहित सम्बन्धित खाते में जमा कर दी गयी है। योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृध्दि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जाते है, यह प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मान्य है।

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0,पी0आई0यू0–मोरी
उत्तरकाशी

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. P.I.U. Mori
(Uttarkashi)

(5)

**जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कोटगांव नैटवाड़ से कलाप (15.00 कि0मी0) के निमार्ण हेतु 22.23 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र**

**गोविन्द वन्य जीव विहार/रा0पा0, पुरोला।**

| क्र0स0 | प्रस्ताव सं0 | हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (है0 में) | ईको क्लास श्रेणी | हरियाली का घनत्व | मद का विवरण | क्षेत्रफल (है0 में) | दर प्रति है0 प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक सं0–972/3–5–2 दिनांक–21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित दर के अनुसार | जमा की जाने वाली आंकलित धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | FP/UK/ROAD/47302/2020 | 11.115 | V | 0.5 | 1. NPV | 11.115 | 845000.00 | 46960875.00 |
| 2 | | | | | 2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षीय रख–रखाव हेतु | 22.23 | 337184.00 | 7832784.32 |
| | | | | | | | Total | |

54793659.32 (पांच करोड सैंतालिस लाख तिरानब्बे हजार छः सौ उनसठ रु0 बतीस पैसे मात्र)

या

54793659.00 (पांच करोड सैंतालिस लाख तिरानब्बे हजार छः सौ उनसठ रु0 मात्र)

नोटः– सम्बन्धित मोटर मार्ग का निर्माण ( कोटगांव नैटवाड़ से कलाप 15.00 कि0मी0)_ गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला के वन्य जीव विहार के क्षेत्रान्तर्गत में होना है, जिसमें NPV की धनराशि का 5 गुना जमा किया जाना है।

(कोमल सिंह) 26/2
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा0पा0
पुरोला, उत्तरकाशी।

उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क
पुरोला (उत्तरकाशी)

My computer/F/Desktop/ Land trans new, land trans latter

5.a

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 10-03-2021

| | |
|---|---|
| Agency Name. | PMGSY MORI |
| Application No. | 6147302908 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/174/2020/FC |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Address. | PIU MORI PMGSY Works, Near SBI Bank Mori, UttarkashiUttarkashi |
| Amount(in Rs) | 54793659.32/- |

Amount in Words :Five Crore Forty-Seven Lakh Ninety-Three Thousand Six Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | UTTARANCHAL CAMPA |
| IFSC Code: | |
| | Pay to Account No. |
| Valid only for this challan amount. | Bank Name & Address: |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only


BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 10-03-2021

| | |
|---|---|
| Agency Name. | PMGSY MORI |
| Application No. | 6147302908 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/174/2020/FC |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Address: | PIU MORI PMGSY Works, Near SBI Bank Mori, Uttarkashi Uttarkashi |
| Amount(in Rs) | 54793659.32/- |

Amount in Words :Five Crore Forty-Seven Lakh Ninety-Three Thousand Six Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | UTTARANCHAL CAMPA |
| IFSC Code: | |
| | Pay to Account No. |
| Valid only for this challan amount. | Bank Name & Address: |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only


After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

(6)

**परियोजना का नाम** :– प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)

## एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना म ेंएन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
पी0आई0यू0-मोरी

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. P.I.U. Mori
Uttarkashi

परियोजना का नाम :– प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अन्र्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)

# शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखा जायगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 346 tree and 32 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में काटे जाएगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा कर दी जायगी एवं पेड़ों का पातन 7 मी0 चौड़ाई में ही किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यू0–मोरी
उत्तरकाशी।

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. P.I.U. Mori
(Uttarkashi)

उप निदेशक
गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क
पुरोला (उत्तरकाशी)

**परियोजना का नाम** :– **प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)**

# शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना और जोनल मास्टर प्लान के प्रावधान प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/47302/2020 पर लागू नही होते है।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यू0–मोरी
उत्तरकाशी।

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. P.I.U. Mori
(Uttarkashi)

**परियोजना का नाम** :– **प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अन्र्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)**

## शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in.) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा कर दिया गया है।

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., P.I.U., Mori
(Uttarkashi)

अधिशासी अभियंता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0–मोरी
उत्तरकाशी।

(10)

# कार्यालय–उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार एंव राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पुरोला,दूरभाष एवं फैक्स नं0- 01373-223433,Eail- gwlspurola@gmail.com

पत्रांक / 127 पुरोला: दिनांक 18/6/ 2021

सेवा मे,

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड़ वन विकास निगम,
टौन्स पुरोला।

**विषयः–** **विकास खण्ड मोरी के कोटगांव (नैटवाड़ से कलाप) नव निर्माण मोटर मार्ग के अन्तर्गत आने वाले 378 वृक्षों के पातन हेतु लौट आवंटन।**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के कार्यालय का पत्रांक–8बी./यू.सी.पी./06/174/2020/एफ0सी0/2318, दिनांक–18.02.2021, की सैद्धान्तिक स्वीकृति के फलस्वरुप गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के कोटगांव (नैटवाड से कलाप) मार्ग (लम्बाई 15.00 किमी0) के नव निर्माण हेतु 11.115 है0 मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का छपान कर पातन हेतु पातन लौट वन विकास निगम, पुरोला को निम्न शर्तो के साथ आवंटित की जाती है–

1. पातन कार्य व प्रकाष्ठ निकासी सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नही होगा।
2. पातन हेतु श्रमिक संरक्षित क्षेत्र में निवास नही करेगे, पातन हेतु सभी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को कोविड–19 महामारी के तहत 72 घण्टे पूर्व की आर0टी0/पी0सी0आर0 की निगेटिव रिर्पोट तथा परिचय पत्र प्रथम दिन प्रवेश के समय देना अनिवार्य होगा।
3. पातन हेतु श्रमिक संरक्षित क्षेत्र से जलौनी लकड़ी एकत्र नही करेगें।
4. पातन हेतु छपान किये गये वृक्षों का ही पातन किया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी अन्य वृक्ष का पातन नही किया जायेगा और ना ही अन्य वृक्ष को क्षति पहुचाई जायेगी।
5. वन्य प्राणियों के साथ छेड़छाड़ नही की जायेगी।
6. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम–1972 की शुसंगत धाराओं का अनुपालन करना होगा।
7. पातन हेतु कर्मचारी व श्रमिक कोई भी खादय सामाग्री संरक्षित क्षेत्र में नही छोडेंगें।
8. वृक्षों के पातन हेतु दिनांक–31 अगस्त 2021 तक की अनुमति प्रदान की जाती है।

**संलग्नक–छपान सूची।**

**(कोमल सिंह)**
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार एंव रा०पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी।

**पत्रांक** 1859 / **समदिनांकित।**

**प्रतिलिपि** :–1. निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड़, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय प्रबन्धक, वन विकास निगम देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0, पी0आई0यू0 मोरी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन क्षेत्राधिकारी, सुपिन रेंज को सूचनार्थ एवं पातन हेतु दी गई शर्तो का अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

18/6/2021
**(कोमल सिंह)**
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार एंव रा०पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी।

(11)

# कार्यालय—उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पुरोला, दूरभाष एवं फैक्स नं0.01373-223433, Email- gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 302 / 12-1 पुरोलाः दिनांक 18/08/2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
पी0आई0यू0—मोरी, उत्तरकाशी।

विषयः— **जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कोटगांव (नैटवाड से कलाप मोटर मार्ग के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या—(FP/UK/ROAD/47302/2020)।**

सन्दर्भः— **आपके कार्यालय का पत्रांक— /पी0एम0जी0एस0वाई0/2021, दिनांक—22.07.2021।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग हेतु भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक—8बी./यू.सी.पी./06/174/2020/एफ0सी0/2318, दिनांक—18.02.2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। आपके द्वारा उक्त मोटर मार्ग के निर्माण प्रारम्भ करने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः भारत सरकार के पत्र संख्या—11—306/2014-FC (pt.) दिनांक—28.08.2015 एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या – 941/X –4–18/1–05(04)/2014, दिनांक—26.09.2019 मे उल्लिखित निर्देशों के अनुपालन में उक्त मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

1. कार्यदायी संस्था द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तो का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावनुसार निर्धारित स्थान पर मक डम्पिंग यार्ड का निर्माण किया जाना अनिवार्य है तथा मलबे को निर्दिष्ट मक डम्पिग यार्ड में ही डाला जायेगा।
4. प्रत्यावर्तित की गई वन भूमि पर आर0सी0सी0 पिल्लरों द्वारा सीमांकन किया जाना अनिवार्य होगा।
5. उक्त अनुमति विधिवत स्वीकृति की प्राप्ति तक अथवा अनुमति जारी होने की तिथि से एक वर्ष **(18.06.2022)** तक ही मान्य होगी।
6. उक्त के अतिरिक्त **वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1927** का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

भवदीय

**(डी0पी0बलूनी)**
उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा0पा0

उप निदेशक
गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क
पुरोला (उत्तरकाशी)

परियोजना का नाम :— प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई—15.00 कि.मी.)

## शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई गतिविधि नहीं की जाएगी।

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0—मोरी
उत्तरकाशी।

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., P.I.U. Mori
(Uttarkashi)

**परियोजना का नाम** :– प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)

## शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0–मोरी
उत्तरकाशी।

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., P.I.U. Mori
(Uttarkashi)

**<u>परियोजना का नाम</u>** :– **प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)**

## <u>शपथ पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या को बढाया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0–मोरी
उत्तरकाशी।

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., P.I.U. Mori
(Uttarkashi)

(15)

<u>परियोजना का नाम</u> :– **प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)**

## शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0–मोरी
उत्तरकाशी।

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., P.I.U. Mori
(Uttarkashi)

**परियोजना का नाम** :– **प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)**

## शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के तह्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकति लागू नही है।

अधिशासी अभियता
पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0–मोरी
उत्तरकाशी।

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., P.I.U. Mori
(Uttarkashi)

<u>परियोजना का नाम</u> :– प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)

## शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यू0–मोरी
(उत्तरकाशी)

**परियोजना का नाम** :– प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)

## शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0,पी0आई0यू0–मोरी
(उत्तरकाशी)

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., P.I.U. Mori
(Uttarkashi)

परियोजना का नाम :– प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)

## शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरो को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक दिया जाएगा।

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0–मोरी
उत्तरकाशी

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., P.I.U., Mori
(Uttarkashi)

**परियोजना का नाम** :– **प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)**

## शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन कर दिया गया है।

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0–मोरी
उत्तरकाशी।

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. P.I.U. Mori
(Uttarkashi)

परियोजना का नाम :– प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)

## शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन कें लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, पी०आई०यू०–मोरी
(उत्तरकाशी)

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., PIU, Mori
(Uttarkashi)

**<u>परियोजना का नाम</u>** :— **प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई—15.00 कि.मी.)**

## शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यू0—मोरी
उत्तरकाशी।

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. PIU Mori
(Uttarakashi)

<u>परियोजना का नाम</u> :– प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)

## <u>शपथ पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जाएगी।

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, पी०आई०यू०–मोरी
(उत्तरकाशी)

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., P.I.U., Mori
(Uttarkashi)

**परियोजना का नाम** :– **प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)**

## शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/174/2020/एफ0 सी0/2318 ,दिनांक 18/02/2021 में अधिरोपित किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया जायेगा।

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0–मोरी
उत्तरकाशी।

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., P.I.U., Mori
(Uttarkashi)

25

**परियोजना का नाम** :– **प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)**

## शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित जो भी शर्ते लागू होंगी, समस्त शर्ते मान्य होंगी।

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यू0–मोरी
(उत्तरकाशी)

Executive Engineer
P.M.G.S.Y, P.I.U, Mori
(Uttarkashi)

**परियोजना का नाम** :– **प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)**

# शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जाएगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे गिरे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नही की जाएगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवे का निस्तारण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर ही किया जाएगा।

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0–मोरी
उत्तरकाशी।

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. P.I.U. Mori
(Uttarkashi)

(27)

परियोजना का नाम :– प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)

# शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/47302/2020** में लागू होने वाले समस्त अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश के अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0,पी0आई0यू0–मोरी
उत्तरकाशी।

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., P.I.U. Mori
(Uttarkashi)

<u>परियोजना का नाम</u> :– प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई–15.00 कि.मी.)

## शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in.) पर अपलोड की जाएगी।

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0,पी0आई0यू0–मोरी
उत्तरकाशी।

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. P.I.U. Mori
(Uttarkashi)